



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-31072026-275014
CG-RJ-E-31072026-275014

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3988]
No. 3988]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948
NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर-पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 27 जुलाई, 2026

का.आ. 4158(अ).— जबकि भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में दिनांक 29 जुलाई, 2025 को रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) की धारा 20क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राजस्थान राज्य के जालोर जिले में लूणी-समदड़ी-भीलड़ी दोहरीकरण रेलवे परियोजना (विशेष रेलवे परियोजना) के सार्वजनिक प्रयोजन हेतु कुछ भूमि अर्जित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की मंशा घोषित की गई थी

और जबकि संयुक्त मापन सर्वेक्षण (JMS) तथा रानीवाड़ा तहसील के राजस्व कर्मियों द्वारा सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि उक्त परियोजना हेतु राजस्थान राज्य के जालोर जिले की रानीवाड़ा तहसील के जाखड़ी एवं रानीवाड़ा खुर्द के कथित परियोजना के लिए आवश्यक कुछ सर्वे नंबर गाँवों के डिजिटाइज्ड नक्शों में त्रुटि की वजह से, उपरोक्त अधिसूचना में शामिल नहीं हो पाए थे।

अतः, अब, रेलवे अधिनियम, 1989 एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट भूमियों का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा घोषित करती है।

भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर, यदि कोई आपत्ति हो तो सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, रानीवाड़ा, जिला जालोर, राजस्थान के समक्ष लिखित रूप में, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के प्रावधानानुसार प्रस्तुत कर सकता है।

अनुसूची

लूणी-समदड़ी-भीलड़ी दोहरीकरण विशेष रेल परियोजना हेतु राजस्थान राज्य के जालोर जिले की रानीवाड़ा तहसील में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिला-जालोर

तहसील-रानीवाड़ा

क्र. सं.	गांव	सर्वे नं.	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि की प्रकृति
1	जाखड़ी	301	निजी	0.4400	4400.00	0.4400	बारानी प्रथम
2		303	निजी	8.7800	3016.10	0.3016	बारानी प्रथम
3		300/1688	निजी	0.2000	2000.00	0.2000	बारानी सोयम
4		225	सरकारी	1.0100	66.95	0.0067	गैर मुमकिन रास्ता
5		58	निजी	1.0200	3497.83	0.3498	बारानी सोयम
6		1929/57	निजी	4.3100	366.26	0.0366	बारानी सोयम
7		1930/57	निजी	4.3100	1200.10	0.1200	बारानी सोयम
8		56	सरकारी	0.5800	371.93	0.0372	गैर मुमकिन रास्ता
9		51	निजी	2.2800	232.95	0.0233	बारानी प्रथम
कुल =					15152.12	1.5152	
क्र. सं.	गांव	सर्वे नं.	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि की प्रकृति
1	रानीवाड़ा खुर्द	1289	निजी	0.7900	2573.25	0.2573	बारानी प्रथम
2		1290	निजी	1.1300	1607.93	0.1608	बारानी प्रथम
3		2375/1322	निजी	0.3300	1500.13	0.1500	बारानी प्रथम
4		1322	निजी	0.3200	637.27	0.0637	बारानी प्रथम
कुल =					6318.584	0.6318	
कुल योग =					21470.70	2.1470	

[फा.सं. ऊपरे/मुख्यालय/एस एंड सी/443599200 भाग-25]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jaipur, the 27th July, 2026

S.O. 4158(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Railways published in the Gazette of India dated the 29th July, 2025, under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) & the railway (amendment) Act – 2008 (11 of 2008), the intention of the Central Government to acquire certain lands for the public purpose of construction of "**Luni-Samdari-Bhildi Doubling Project (Special Railway Project) in Jodhpur Division of Rajasthan State**" was declared;

And whereas during the course of Joint Measurement Survey (JMS) and verification by the Revenue staff of Raniwara Tehsil, it has been observed that certain survey numbers situated in villages **Jakhri & Raniwara Khurd of Raniwara Tehsil, District Jalore, Rajasthan**, required for the said project were not included in the aforesaid notification, due to error in digitized maps of villages.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the railway (amendment) Act – 2008 (11 of 2008) & the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares its intention to acquire the lands specified in the Schedule below for the said public purpose.

Any person interested in the land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, file objections, if any, to the Competent Authority, namely Sub Divisional Officer Raniwara, District Jalore, Rajasthan in writing, as provided under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

SCHEDULE

Detail of Additional land to be acquired in Tehsil Raniwara of Jalore District in connection with Luni-Samdari-Bhildi Doubling Special Railway Project.

District: Jalore**Tehsil: Raniwara**

S. No.	Village	Survey No.	Type of land	Total Land (in Ha.)	Land to be Acquired (In Sq.m.)	Land to be Acquired (in Ha.)	Nature of land
1	Jakhri	301	Private	0.4400	4400.00	0.4400	Barani Pratham
2		303	Private	8.7800	3016.10	0.3016	Barani Pratham
3		300/1688	Private	0.2000	2000.00	0.2000	Barani Soyam
4		225	Govt.	1.0100	66.95	0.0067	Gair. Mumkin Rasta
5		58	Private	1.0200	3497.83	0.3498	Barani Soyam
6		1929/57	Private	4.3100	366.26	0.0366	Barani Soyam
7		1930/57	Private	4.3100	1200.10	0.1200	Barani Soyam
8		56	Govt.	0.5800	371.93	0.0372	Gair. Mumkin Rasta
9		51	Private	2.2800	232.95	0.0233	Barani Pratham
Total =					15152.12	1.5152	

S. No.	Village	Survey No.	Type of land	Total Land (in Ha.)	Land to be Acquired (In Sq.m.)	Land to be Acquired (in Ha.)	Nature of land
1	Raniwara	1289	Private	0.7900	2573.25	0.2573	Barani Pratham
2	Khurd	1290	Private	1.1300	1607.93	0.1608	Barani Pratham
3		2375/1322	Private	0.3300	1500.13	0.1500	Barani Pratham
4		1322	Private	0.3200	637.27	0.0637	Barani Pratham
Total =					6318.584	0.6318	
Grand Total =					21470.70	2.1470	

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. XXV]

VIVEK SAXENA, Chief Administrative Officer (Construction)